प्रेस नोट थाना खुटार
जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 12.11.2025

"थाना खुटार, जनपद शाहजहाँपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत गौवध अधिनियम सम्बन्धी मुकदमे में वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदया के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना खुटार के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कडी कार्यवाही के क्रम में थाना खुटार पुलिस को बडी सफलता हालिस हुई।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.11.2025 को थाना खुटार पर वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 484/2025 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधि0 के संबंध मे आज दिनांक 12.11.2025 को दौराने चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में थाना खुटार पुलिस मामूर थी कि तुलापुर से कोल्हूगाढा की ओर जा रहे खडंजे पर तेलो वाली पुलिया की नहर की पटरी से करीब 200 मीटर दूर दौराने पुलिस मुठभेड मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता पुत्र मियाँ खा निवासी ग्राम जादमपुर कला थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 35 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगी है। तथा अभियुक्त का एक साथी भूरे खां पुत्र नवाब निवासी ग्राम केसरपुर थाना से0म0उ0 जनपद पीलीभीत हाल निवासी शेरपुर थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत फरार हो गया। अभियुक्त मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता के कब्जे से जानवर काटने के उपकरण व एक अदद तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक मो0सा0 बरामद हुई, दौराने पूछताछ अभियुक्त मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता ने मु0अ0सं0 484/2025 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 पंजीकृत दिनांक 10.11.25 को घटना का किया जाना कबूल किया है। जिसके आधार पर अभियुक्त को प्रकाश में लाया गया। अभियुक्त को वास्ते चिकित्सीय परीक्षण व इलाज हेतु सीएचसी खुटार भिजवाया गया। अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 486/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस व धारा 3/25/27 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता पुत्र मियाँ खा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम जादमपुर कला थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 486/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस व धारा 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:-

दिनांक 12.11.2025 समय 00.25 बजे, तुलापुर से कोल्हूगाढा की ओर जा रहे खडंजे पर तेलो वाली पुलिया की नहर की पटरी से करीब 200 मीटर दूर।

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर 01 अदद मोटर साइकिल टीवीएस बिना नम्बर प्लेट चैसिस नं0 MD625BK28R3P02477 01 अदद लकडी का गुटका व 01 अदद रस्सी व 01 अदद लोहे की कुल्हाडी, 01 अदद लोहे की छुरी व 01 अदद लोहे की चापड़ व 01 अदद टार्च व 01 अदद प्लास्टिक का बोरा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 486/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस व धारा 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर।

पूछताछ का विवरण -

मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता पुत्र मियाँ खा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम जादमपुर कला थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर ने पूछने पर बताया कि साहब मेरा ससुर छोटे पुत्र नवाब निवासी ग्राम केसरपुर थाना से0म0उ0 जनपद पीलीभीत गौकशी का काम बहुत दिनो से करता है। उसने ही मुझे इस काम मे संलिप्त किया। मै व मेरे अन्य 05 साथी 1. जावेद उर्फ करिया पुत्र साकिर निवासी मोहल्ला रजागंज थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत 2.जफर पुत्र बजरुल्ला निवासी मोहल्ला रजागंज थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत 3. कमरूल पुत्र बल्ली उर्फ नूरहसन निवासी ग्राम केसरपुर थाना से0म0उ0 जनपद पीलीभीत हाल निवासी मोहल्ला रजागंज थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत 4.भूरे खां पुत्र नवाब निवासी ग्राम केसरपुर थाना से0म0उ0 जनपद पीलीभीत हाल निवासी ग्राम शेरपुर थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत 5. छोटे पुत्र नवाब निवासी ग्राम केसरपुर थाना से0म0उ0 जनपद पीलीभीत आपस मे मिलकर आवारा गौवंशीय पशुओ को जंगल मे घेर कर बांध लेते है और फिर रात्रि मे काटकर राह चलते लोगो को उसका मांस बेच देते है। और उससे जो पैसा आता है उसे आपस मे बराबर बांट कर जीवन यापन करते है। साहब आज से तीन दिन पहले भी जहाँ आपने मुझे पकडा है वहाँ से करीब 25 कदम की दूरी पर मै व मेरे उपरोक्त पाँचो साथियो ने मिलकर गौवंशीय पशु को काटा था और आज भी हम गौवंशीय पशु के काटने के फिराक मे थे कि उससे पहले ही आप लोगो ने मुझे पकड लिया। मेरे साथ आज मेरा ससुर छोटे पुत्र नवाब नही था बाकी सभी लोग थे। आज जब आप लोगो ने मुझे पकडा तो उस समय भूरे खां मेरे साथ था परन्तु वह भागने मे सफल रहा और हमारे बाकी तीन अन्य साथी जावेद उर्फ करिया, जफर, कमरूल उपरोक्त गौवंशीय पशु की व्यवस्था करने मे लगे हुए थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. सुभाषचन्द्र (कार्यवाहक थाना प्रभारी)
2. उ0नि0 श्री अनुज चौधरी
3. उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह
4. का0 2205 सिकन्दर सिंह मलिक
5. का0 1107 मनोज कुमार
6. का0 2087 विशाल कुमार
7. का0 2128 सनी कुमार
8. का0 2146 फिरोज हसन
9. का0 94 हरिओम सिंह